



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246603
CG-DL-E-16062023-246603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]
No. 354]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सा.का.नि. 441(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 147 की उप-धारा (2) द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ), तारीख 25 मई, 2022 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या विलोपित की गई बातों को छोड़कर, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम बनाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और आरएस), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), क्रमांक 115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद - 500032 भेजे जा सकते हैं या comments-morth@gov.in और mtp-irdai@irdai.gov.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन नियमों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम और देयता नियम कहा जा सकता है।

(2) ये, 2023 से प्रभावी होंगे।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 और उसके बाद, जब तक नई दरें अधिसूचित नहीं की जाती हैं के लिए वाहनों की विभिन्न श्रेणियों हेतु असीमित देयता हेतु मोटर तृतीय पक्ष बीमा कवर की आधार प्रीमियम दरें नीचे तालिका में दी गई हैं:

तालिका I

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
(1)	(2)	(3)
	निजी कारें	
	1000 सीसी से अधिक नहीं	2,094
	1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 सीसी से अधिक नहीं	3,416
	1500 सीसी से अधिक	7,897
	दोपहिया	
	75 सीसी से अधिक नहीं	538
	75 सीसी से अधिक लेकिन 150 सीसी से अधिक नहीं	714
	150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अधिक नहीं	1,366
	350 सीसी से अधिक	2,804
क1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया के अलावा)	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	16,049
	7500 किलोग्राम से अधिक लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	27,186
	12000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	35,313
	20000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	43,950
	40000 किलोग्राम से अधिक	44,242
क2	माल वाहक मोटरचालित तिपहिया और मोटरचालित पैडल साइकिल- सार्वजनिक वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	4,492
क3	माल वाहक मोटरचालित तिपहिया और मोटरचालित पैडल साइकिल- निजी वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	3,922
ख	ट्रेलर्स	
	6 एचपी तक के कृषि ट्रैक्टर	910
	विविध और विशेष प्रकार के वाहन (वर्ग-ग) सहित अन्य वाहन, (प्रत्येक ट्रेलर के लिए, अधिक के लिए कृपया ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)	2,485

तालिका II

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)	
		मूल दर	प्रति लाइसेंसधारी यात्री
(1)	(2)	(3)	(4)
ग1क	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है		
	1000 सीसी से अधिक नहीं	6,040	1,162
	1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 सीसी से अधिक नहीं	7,940	978
	1500 सीसी से अधिक	10,523	1,117
ग1ख	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तीन पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है		
	ई-रिक्शा को छोड़कर	2,371	1,134
ग2	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक है		
	शैक्षणिक संस्थान बस	12,192	745
	शैक्षणिक संस्थान बस के अलावा	14,343	877
ग3क	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक, लेकिन 17 यात्रियों से अधिक नहीं है।	6,763	1,349
ग3ख	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 17 यात्रियों से अधिक है।	15,502	948
ग4	भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित दोपहिया		
	75 सीसी से अधिक नहीं	861	580
	75 सीसी से अधिक लेकिन 150 सीसी से अधिक नहीं	861	580
	150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अधिक नहीं	861	580
	350 सीसी से अधिक	2,254	580

तालिका III

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
(1)	(2)	(3)
घ	विशेष प्रकार के वाहन	
	पैदल यात्री नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, जिनकी हॉर्स पावर रेटिंग 6 एचपी से अधिक नहीं है, शव वाहन और प्लेन लोडर	1,645
	अन्य विविध और विशेष प्रकार के वाहन	7,267

ड.	मोटर व्यापार (सड़क पारगमन जोखिम)	
	दूरी 2400 किमी से अधिक नहीं	1,175
	दूरी 2400 किमी से अधिक	1,412
चक	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दोपहिया वाहनों को छोड़कर) - (नामित चालक या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित चालक या प्रमाणपत्र	1,498
	5 तक अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति चालक /प्रमाणपत्र)	725
	5 से अधिक, लेकिन 10 से अधिक नहीं अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति चालक /प्रमाणपत्र)	467
	10 से अधिक, लेकिन 15 से अधिक नहीं अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति चालक /प्रमाणपत्र)	404
चख	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दोपहिया वाहन) - (नामित चालक या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित चालक या प्रमाणपत्र	515
	प्रत्येक अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए	257

तालिका IV

वाहन की श्रेणी	दरें (रु.)
(1)	(2)
नई निजी कार - तीन साल का एकल प्रीमियम	
1000 सीसी से अधिक नहीं	6,521
1000 सीसी से अधिक, लेकिन 1500 सीसी. से अधिक नहीं	10,640
1500 सीसी से अधिक	24,596
नया दोपहिया - पांच साल का एकल प्रीमियम	
75 सीसी से अधिक नहीं	2,901
75 सीसी से अधिक, लेकिन 150 सीसी. से अधिक नहीं	3,851
150 सीसी से अधिक, लेकिन 350 सीसी. से अधिक नहीं	7,365
350 सीसी से अधिक	15,117

तालिका V

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
(1)	(2)	(3)
	निजी कारें	
	30 किलोवाट से अधिक नहीं	1,780
	30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	2,904
	65 किलोवाट से अधिक	6,712

	निजी दोपहिया	
	3 किलोवाट से अधिक नहीं	457
	3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	607
	7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	1,161
	16 किलोवाट से अधिक	2,383
ए1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अलावा)	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	13,642
	7500 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	23,108
	12000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	30,016
	20000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	37,357
	40000 किलोग्राम से अधिक	37,606
ए2	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - सार्वजनिक वाहक	
	ई-कार्टर्स	3,139
ए3	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - निजी वाहक	
	ई-कार्टर्स	3,211

तालिका VI**इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दीर्घकालिक दरें- निजी कार और दोपहिया वाहन**

वाहन की श्रेणी	दरें (रु.)
(1)	(2)
नई निजी कार - तीन साल का एकल प्रीमियम	
30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,543
30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	9,044
65 किलोवाट से अधिक	20,907
नया दोपहिया - पांच साल का एकल प्रीमियम	
3 किलोवाट से अधिक नहीं	2,466
3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	3,273
7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	6,260
16 किलोवाट से अधिक	12,849

तालिका VII**इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें - यात्री वाहक**

वाहन का प्रकार	किलोवाट सेगमेंट	मूल टीपी प्रीमियम (रु.)	प्रीमियम प्रति लाइसेंसधारी यात्री (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
सी1ए (भाड़े या रिवाँर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है)	30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,134	988
	30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	6,749	831
	65 किलोवाट से अधिक	8,945	949

सी1बी (यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तिपहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है)	ई-रिक्शा	1,539	737
सी2 (भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है)	शैक्षणिक संस्थान बस	10,363	633
	शिक्षण संस्थान बस के अलावा	12,192	745
सी3ए (भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक, लेकिन 17 यात्रियों से अधिक नहीं है)		5,749	1,147
सी3बी (भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 17 यात्रियों से अधिक है)		13,177	806
C4 (भाड़े या रिबॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित दोपहिया वाहन)	3 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	16 किलोवाट से अधिक	1916	493

तालिका VIII – क्वाड्रिसाइकिल

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)	
		मूल दर	प्रति लाइसेंसधारी यात्री
(1)	(2)	(3)	(4)
क्वाड्रिसाइकिल	निजी कार	2,094	एन/ए
	इलेक्ट्रिक निजी कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	1,780	एन/ए
	वाणिज्यिक वाहन 500 सीसी से अधिक नहीं	2,539	1,214

दीर्घावधि की दरें - तीन साल का एकल प्रीमियम:

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
(1)	(2)	(3)
क्वाड्रिसाइकिल	नई निजी कार	6,521
	नई इलेक्ट्रिक निजी कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	5,543

[फा. सं. आरटी-11036/194/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण:

- शैक्षिक संस्थान बस का अर्थ है एक बहुप्रयोजन वाहन, जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है और पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या कर्मचारियों के कार्यकलापों के संबंध में परिवहन के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

- ii. विंटेज कार के रूप में पंजीकृत किसी निजी कार को भारतीय मोटर टैरिफ के आधार पर प्रीमियम के 50% की रियायती कीमत की अनुमति दी जाएगी।
- iii. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर 7.5% की छूट दी जाएगी।
- iv. प्रीमियम की सभी दरों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- v. तालिकाओं के तहत वाहनों की श्रेणी का अर्थ केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत वाहनों की एक विशेष श्रेणी के लिए होगा।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2023

G.S.R. 441(E).—The following draft of certain rules proposed to be made in exercise of the powers conferred to the Central Government by subsection (2) of section 147 of the Motor Vehicles, Act, 1988 (59 of 1988) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number G.S.R. 394(E) dated the 25th May, 2022, excepts as respect things done or omitted to be done before such supersession is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & RS), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032 or on the email: comments-morth@gov.in and mtp-irdai@irdai.gov.in;

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called as the Motor Third Party Premium and liability rules for the Financial Year (FY) 2023-24.

(2) They shall come into force with effect from ., 2023.

(3) The base premium rates for Motor Third Party Insurance Cover for unlimited liability for the various classes of vehicles are tabulated below for the Financial Year 2023-24 and beyond, till the time new rates are notified:

Table I

Category	Vehicle Type	Rates (Rs)
(1)	(2)	(3)
	Private Cars	
	Not exceeding 1000 cc	2,094
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	3,416
	Exceeding 1500 cc	7,897
	Two Wheelers	
	Not exceeding 75 cc	538
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	714
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	1,366
	Exceeding 350 cc	2,804
A1	Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers)	
	GVW not exceeding 7500 kgs	16,049
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	27,186
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	35,313
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	43,950
	Exceeding 40000 kgs	44,242

A2	Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Public Carriers	
	except e-carts	4,492
A3	Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Private Carriers	
	except e-carts	3,922
B	Trailers	
	Agricultural Tractors upto 6 HP	910
	Other vehicles including Miscellaneous & Special Type of Vehicles (Class-C),(For each trailer, for more please multiply by no. of trailers)	2,485

Table II

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)	
		Basic Rate	Per Licensed Passenger
(1)	(2)	(3)	(4)
C1a	Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers		
	Not exceeding 1000 cc	6,040	1,162
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	7,940	978
	Exceeding 1500 cc	10,523	1,117
C1b	Three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers		
	except e-rickshaw	2,371	1,134
C2	Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire or reward		
	Educational institution bus	12,192	745
	Other than educational institution Bus	14,343	877
C3a	Motorized three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers	6,763	1,349
C3b	Motorized three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 17 passengers	15,502	948
C4	Motorized Two wheelers used for carrying passengers for hire or reward		
	Not exceeding 75 cc	861	580
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	861	580
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	861	580
	Exceeding 350 cc	2,254	580

Table III

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)
(1)	(2)	(3)
D	Special Types of Vehicles	
	Pedestrian controlled Agricultural Tractors with Horse Power rating not exceeding 6HP, Hearses and Plane Loaders	1,645
	Other Misc & Special types of vehicles	7,267

E	Motor Trade (Road Transit Risks)	
	Distance not exceeding 2400 kms	1,175
	Distance exceeding 2400 kms	1,412
Fa	Motor Trade (Road Risks) (Excluding Motorized Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)	
	1st named driver or certificate	1,498
	For additional drivers/ certificates up to 5 (per driver/certificate)	725
	For additional Drivers/ Certificates exceeding 5 but not exceeding 10 (per driver/ certificate)	467
	For additional Drivers/ Certificates exceeding 10 but not exceeding 15 (per driver/ certificate)	404
Fb	Motor Trade (Road Risks) (Motorized Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)	
	1st named driver or certificate	515
	For each additional Driver/ Certificate	257

Table IV

Category of Vehicle	Rates (Rs.)
(1)	(2)
New Private Car – Three year single premium	
Not exceeding 1000 cc	6,521
Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	10,640
Exceeding 1500 cc	24,596
New Two Wheeler – Five year single premium	
Not exceeding 75 cc	2,901
Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	3,851
Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	7,365
Exceeding 350 cc	15,117

Table V

Rates for Electric vehicles

Category	Vehicle Type	Rates (Rs)
(1)	(2)	(3)
	Private Cars	
	Not exceeding 30 KW	1,780
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	2,904
	Exceeding 65 KW	6,712
	Private Two Wheelers	
	Not exceeding 3 KW	457
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	607
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	1,161
	Exceeding 16 KW	2,383
A1	Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers)	
	GVW not exceeding 7500 kgs	13,642
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	23,108
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	30,016
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	37,357
	Exceeding 40000 kgs	37,606
A2	Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Public Carriers	
	e-carts	3,139
A3	Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Private Carriers	

e-carts	3,211
---------	-------

Table VI**Long term rates for electric vehicles – Private Cars and Two wheelers**

Category of Vehicle	Rates (Rs.)
(1)	(2)
New Private Car – Three year single premium	
Not exceeding 30 KW	5,543
Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	9,044
Exceeding 65 KW	20,907
New Two Wheeler – Five year single premium	
Not exceeding 3 KW	2,466
Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	3,273
Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	6,260
Exceeding 16 KW	12,849

Table VII**Rates for Electric vehicles – Passenger carrying**

Vehicle type	KW Segments	Basic TP premium (Rs.)	Premium per licensed passenger (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
C1a (Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	Not exceeding 30 KW	5,134	988
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	6,749	831
	Exceeding 65 KW	8,945	949
C1b (Three wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	e-rickshaw	1,539	737
C2 (Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire and reward)	Educational institution bus	10,363	633
	Other than educational institution bus	12,192	745
C3a (Motorised three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers)	-	5,749	1,147
C3b (Three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire and reward with carrying capacity exceeding 17 passengers)	-	13,177	806
C4 (Motorised Two Wheelers used for carrying passengers for hire or reward)	Not exceeding 3 KW	732	493
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	732	493
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	732	493

	Exceeding 16 KW	1916	493
--	-----------------	------	-----

Table VIII - Quadricycle

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)	
		Basic Rate	Per Licensed Passenger
(1)	(2)	(3)	(4)
Quadricycle	Private Car	2,094	N/A
	Electric private Car(Not exceeding 30 KW)	1,780	N/A
	Commercial Vehicles not exceeding 500 CC	2,539	1,214

Long term rates – Three years single premium:

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)
(1)	(2)	(3)
Quadricycle	New Private Car	6,521
	New Electric private Car (Not exceeding 30 KW)	5,543

[F. No. RT-11036/194/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note:

- Educational institution bus means an omnibus, which is owned by a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students or staff of the educational institution in connection with any of its activities.
- A discounted price of 50% of the premium based on the Indian Motor Tariff shall be allowed to a private car registered as Vintage Car.
- A discount of 7.5% on the premium shall be allowed for Hybrid Electric Vehicle.
- All rates of premium shall be rounded off to the nearest rupee.
- The category of vehicles under the Tables shall have the meaning assigned to a particular category of vehicles under Central Motor Vehicle Rules, 1989.